मध्यप्रदेश शासन

प्रश्न सं. [क्र. 540]

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल दिनांक 28-05-2019

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1):: राज्य शासन एतद् द्वारा "**मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना**" में विभागीय आदेश 05.06.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-3.5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रस्थापित की जाती है:-

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) एवं पोलीटेनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना में अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.एम.आर.धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग
भोपाल दिनांक 28-05-2019

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

प्रतिलिपि -

1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।

-93- परिशिष्ट-3.2

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय
:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 01-07-2019

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1):: राज्य शासन एतद् द्वारा **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** के विभागीय आदेश 05.06.2018 की कंडिका-3.2 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

"परन्तु, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट डेन्टल कॉलेज के बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में वर्ष 2017-18 में प्रवेश प्राप्त कर, मेधावी योजना का लाभ प्राप्त किया हो, केवल उन विद्यार्थी को ही पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक योजना की यथा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.एम.आर.धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

भोपाल दिनांक 01-07-2019

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।

निरन्तर...